कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री ग्रोवर एसोसिएट्स, बी-258, नरायना इण्ड0 एरिया, फेस-1, नई दिल्ली ।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**095 / 11, 10.10.2011**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री ग्रोवर एसोसिएट्स, बी-258, नरायना इण्ड0 एरिया, फेस-1, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 10.10.2011 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा '' Computer Memory (RAM) तथा Pen Drive '' पर वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर की दर जाननी चाही गयी है ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को अन्तिम नोटिस दिनांक 15.12.2011 के लिए भेजी गयी तथा उपस्थित होने पर सुनवाई की तिथि 12.01.2012 के लिए स्थगित की गयी । किन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ । प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शेड्यून-II, पार्ट-बी के क्रमांक-22 पर अंकित प्रविष्टि '' Computer system and peripherals '' के अन्तर्गत उक्त वस्तुओं पर 4% की दर से कर होना चाहिए ।

3. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी दिल्ली राज्य के हैं तथा पंजीकृत या अपंजीकृत रूप से उत्तर प्रदेश में वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर नहीं हैं । उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के अन्तर्गत '' person or dealer concerned '' in U.P.VAT Act ही प्रश्न पूछ सकता है । प्रार्थी '' person or dealer concerned '' नहीं हैं । अत: उनके द्वारा दिया गया प्रार्थना-पत्र उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत ग्राह्य नहीं होना चाहिए । यह भी कहा गया कि प्रार्थी द्वारा जिन दो वस्तुओं पर करदेयता जाननी चाही गयी है । उनके सम्बन्ध में पूर्व में ही सर्वश्री राम इन्फोटेक, शॉप नम्बर-1, प्रथम तल, आर-26, रेलवे कालोनी, सेक्टर-12, प्रताप विहार, गाजियाबाद के मामले में प्रार्थना-पत्र संख्या-027 / 13 में पारित निर्णय दिनांक 29.11.2013 से स्थिति स्पष्ट करते हुए कर की दर निर्धारित की जा चुकी है ।

4. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया । पाया गया कि प्रार्थी दिल्ली राज्य के हैं । वह पंजीकृत या अपंजीकृत रूप से उत्तर प्रदेश में वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर नहीं हैं । अत: '' person or dealer concerned '' in U.P.VAT Act न होने के कारण उनके द्वारा दिया गया धारा-59 का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है ।

5. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 12 मार्च, 2014

ह0 / 12.03.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।